पूर्वांचल के 12 जिलों में इंसेफ्लाइटिस से 1 लाख मौतें

11 अगस्त तक 63 मौतें सिर्फ गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं, इनमें से करीब 35 बच्चे हैं, जबकि 9 अगस्त को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज गए थे तब सबकुछ ठीक होने की बात कही थी अधिकारियों ने

गोरखपुर, जनज्वार। यूपी के मुख्यमंत्री पिछले 15 वर्षों से हैं गोरखपुर के सांसद, सबसे पहले 1998 में उठाया था संसद में मुद्दा, पर इन वर्षों में होती रहीं मौतें और वह कुछ सुरक्षित टीके का नहीं करा पाए इंतजाम। सवाल यह कि क्या मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी के कर्मभूमि पर होने वाली इन मौतों का सिलसिला थमेगा

जानिए गोरखपुर की महामारी इंसेफ्लाइटिस पर क्या कहते हैं तथ्य

कल प्रकाश में आई मौतों के लिए सीधे सरकारी अधिकारियों की लापरवाही और सरकार का निकम्मापन जिम्मेदार है, क्योंकि गोरखपुर के प्रमुख अखबार हिंदुस्तान ने 30 जुलाई को ही बता दिया था कि ऑक्सीजन के पेमेंट न होने से मरीजों की जान का खतरा हो सकता है।

गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों के मौसम की अभी शुरुआत भर है और 11 अगस्त तक 63 मौतें सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हो चुकी हैं।

इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन से जुड़े गोरखुपर के डॉ. आरएन सिंह बताते हैं, वर्ष 2016 में इन्सेफलाइटिस से मेडिकल कॉलेज में 514 मौतें हुईं, जो पिछले वर्षों के मुकाबले 15 फीसदी ज्यादा थीं।

हर साल गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हो जाती है 5 सौ मौतें, मरने वालों में 70 फीसदी होते हैं बच्चे, जो बच जाते हैं उनमें से बहुतेरे हो जाते हैं विकलांग तो कुछ होते हैं मानसिक रोग के शिकार

जानकारों और विशेषज्ञों के अनुसार 2005 से 2017 के बीच सिर्फ मेडिकल कॉलेज में हर वर्ष औसत 500 मरीजों की मौत होती है।

इंसेफ्लाइटिस उन्मूलन अभियान के मुखिया डॉक्टर आरएन सिंह के मुताबिक अब तक इस बीमारी से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के 12 जिलों गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, खलीलाबाद, अंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और गोंडा में अबतक एक लाख से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं।

2009 से 2011 के बीच इस बिमारी की बेहतर व्यवस्था के लिए हजारों लोग अपने खून से खत लिख चुके हैं, लेकिन सरकार ने कान नहीं दिया। पूर्वांचल के 12 जिलों में यह बीमारी हर साल 4 से 5 हजार लोगों को अपना शिकार बनाती है. 1977—78 में गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस का पहला मामला सामने आया था और 1998 में योगी आदित्यनाथ ने पहली बार संसद यह मुद्दा उठाया था।

इंसेफ्लाइटिस रोगियों के मौत यानी रोग होने के बाद न बच पाने का औसत भारत में होने वाले किसी भी रोग से ज्यादा है। 2017 में इंसेफेलाइटिस से हुई मौतों का मृत्यु दर 31.49 फीसदी रही और 2016 में 26.16 फीसदी।

इंसेफ्लाइटिस होने पर करीब 30 फीसदी मरीजों की मौत हो जाती है। जो बच जाते हैं, उनमें से करीब आधे आंशिक या वृहद अपंगता के शिकार हो जाते हैं।

इंसेफ्लाइटिस यानी जापानी बुखार क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से होता है। इसका भारत में कोई टीका नहीं है। सरकार ने इस बीमारी से निपटने के लिए पिछले वर्षों में चीन से टीके मंगाए गए थे, लेकिन कुछ खास सफलता नहीं मिली। 2006 से चलाया जा रहा है इंसेफ्लाइटिस का टीकाकरण अभियान, पर परिणाम शून्य। रोगी घटने की बजाए हर साल बढ़ रहे हैं। फिर क्यों किया जाता है टीके का इस्तेमाल।

इसके विपरीत चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि जापान से आये इस बीमारी से जापान में आज एक भी मौत नहीं हो रही। जब जापान में इस रोग का प्रतिरोधक टीका बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है तो भारत में क्यों नहीं। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि यह टीका कोई बहुत महंगा नहीं है। साधारण टीकाकरण की तरह इसका टीकाकरण भी किया जा सकता है। बशर्ते कि सरकार की नीयत साफ हो।

केजरीवाल ने करवाया 2 पत्रकारों को मीडिया से बाहर

गुमशुदा केजरीवाल सदन में आओ का बैनर लिए कपिल की फोटो ट्वीट करने का किया था गुनाह

सरकार किसी की भी हो मोदी की या केजरीवाल या फिर हुड्डा या योगी की, किसी को भी सच्ची खबर पर रिपोर्टिंग पचती नहीं है। अगर सरकारों के प्रोपगेंडा को पत्रकार आगे बढ़ाये तो इनको पत्रकार अच्छे और अपने दरबारी लगते हैं, पर जब वो कोई सच्ची पत्रकारिता करे तो इन्हें चुभ जाती है...

स्वतंत्र कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट

दिल्ली। पिछले दिनों एनडीटीवी के दफ्तर पर पड़े सीबीआई के छापों को देश की प्रेस की आजादी पर हमला बताने वाली केजरीवाल एंड पार्टी खुद पत्रकारों को लेकर कैसा रुख अख्तियार करती है और पत्रकारों के प्रति कितनी उदारता बरतती है, इसका जीता जागता उदाहरण कल 11 अगस्त को उस समय सामने आया जब टोटल न्यूज के पत्रकारों सुशांत मेहरा और तरुण सदन में एक बैनर लेकर पहुंचे कपिल मिश्रा की फोटो ट्वीट कर दी।

इसी बात पर केजरीवाल सरकार के मीडिया मैनेजर्स को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने इन दोनों रिपोर्टर्स को सरकार की खबरों वाले मीडिया ग्रुप से आउट कर दिया। इन दोनों पत्रकारों को गोपाल राय, सतेंदर जैन के मीडिया ग्रुप के अलावा दिल्ली सरकार की खबरों के लिए बनाये गए ग्रुप से बाहर कर दिया।

सवाल है कि आखिर उस फोटो मे ऐसा क्या था कि दिल्ली सरकार के ये सरकारी पत्रकार इतने तिलमिला गए। दरअसल दिल्ली सरकार का 4 दिन से विधानसभा का सत्र चल रहा था। इन चारों दिनों में अरविंद केजरीवाल एक बार भी सदन में नहीं आये। इसी मुद्दे पर आप सरकार से निलंबित मंत्री एवं विधायक कपिल मिश्रा सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे कि दिल्ली के मुद्दों की चर्चा पर दिल्ली का सीएम गायब है।

कल 11 अगस्त को कपिल एक बैनर

लेकर सदन में पहुंचे थे, जिसमें लिखा था कि गुमशुदा केजरीवाल सदन में वापस आओ। इसी बैनर के साथ फोटो को इन दोनों साहसी पत्रकारों ने ट्वीट कर दिया था। इसी बात पर दिल्ली सरकार के मीडिया संभालने वाले कभी खुद भी पत्रकार रहे अरुणोदय ने इन पत्रकारों को मीडिया ग्रुप से बाहर कर दिया।

बात सिर्फ आज की नहीं थी। दरअसल टोटल टीवी के दोनों पत्रकार सुशांत मेहरा और तरुण दिल्ली सरकार के प्रोपगेंडा को ध्वस्त करते हुए जन सरोकार से जुड़ी असली खबरें जनता के सामने रख रहे थे। इनमें से एक पत्रकार ने पिछले दिनों शिक्षा पर एक ऐसी खबर की थी जिसे देखकर खुद को एजुकेशन चाचा की छवि गढ़ने की सोच रहे मनीष सिसोदिया तिलमिला गए थे।

पत्रकार कह रहे हैं कि जब कई प्रमुख मीडिया घराने आप सरकार की चाटुकारिता कर रहे हैं, ऐसे में जो कुछ पत्रकार सही मायने में रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनकी आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है।

कहा जाता है कि प्रदूषण कम करने के लिए एक बार जब केजरीवाल सरकार ने ओड इवन योजना केजरीवाल ने चलाई थी, तभी एक दैनिक हिंदी के पत्रकार ने कुछ नेगेटिव ट्वीट कर दिया था। केजरीवाल सरकार ने उस पत्रकार को उस अखबार से बाहर करवा दिया था। आजकल वो पत्रकार एक हिंदी टीवी चैनल में पत्रकारिता कर रहे हैं।

सरकार किसी की भी हो मोदी की या केजरीवाल या फिर हुड्डा या योगी की, किसी को भी सच्ची खबर पर पत्रकारिता पचती नहीं है। अगर सरकारों के प्रोपगेंडा को पत्रकार आगे बढ़ाये तो इनको पत्रकार अच्छे और अपने दरबारी लगते हैं, पर जब वो कोई सच्ची पत्रकारिता करे तो इन्हें चुभ जाती है।

निगरानी कमेटी : बिल्लियां करेंगी दूध की रखवाली

करनाल : (जे के-पी के) हरियाणा सरकार लोक लुभावन मुखौटा लगाने के चक्कर में गलती पर गलती किये जा रही है। जिसमें जनता तो गुमराह हो ही रही है सरकार की छवि को भी धक्का लगना तय है । गत दिनों सरकारी अधिकारीयों पर लगाम कसने के लिये निगरानी कमेटी का गठन किया गया ताकि जनता को निष्पक्ष तौर पर सरकारी नितियों का फायदा मिल सके। परन्तु गलती यह रही कि निगरानी कमेटी में जो लोग चुने गये उनके बारे छानबीन न करके मेल जोल वाले लोगों को तैनात कर दिये गये । नतीजा ये हुआ कि जनता की सुविधाओं के लिये चुने गये लोग आपसी सांठ-गांठ करके जनता व अधिकारी से पैसा ऐठने लग गये अब जनता व सरकार दोनों की किरकरी हो रही है ।

सबसे अधिक प्रभावित नगर निगम, तहसील व सी एम विण्डों पर हो रही है । निगरानी कमेटी के सदस्य प्रत्यक्ष तौर पर दखलअन्दाजी करके अपने जानकारों को लाभ व विरोधियो पर जुर्माना लगवा रहे है । अगर जुर्माना माफ करवाना है तो सेवा शुल्क लगेगा ही ।

स्थानीय कमेटी चौक पर एक बैटरी विक्रेता हरियाणा आटो बैटरी ने अपनी दुकान के ऊपर अपना ही साईन बोर्ड लगाया था । जिसमें नगर निगम अधिकारीयों ने नियमों की उलघंना बता कर **Violation of Defacement act 1989 and Haryana Municipalities Outdoor Advertising Policy 2010 and also the Provisions under section 121&122 of the Haryana Municipal Corporation Act 1994** के अर्न्तगत गलती बता कर तीन हजार रू जुर्माना वसूल किया और भी कई दुकानदारों को इसी कानून का हवाला देकर जुर्माना मांगा गया तथा न भरने पर उनके खिलाफ नोटिस भेजा गया । जुर्माना न भरने पर उन सभी दुकानदारों के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के लिये पुलिस सिफरिश को कर दी । पीड़ित दुकानदार अपनी समस्या को लेकर भाजपा के पूर्व मिडिया प्रभारी से मिले नगर निगम के अधिकारीयों की मिली भगत बताते हुये शिकायत की कि नगर निगम अधिकारी जानबूझकर कोई न कोई कमी निकाल कर भारी जुर्माना वसूल कर रहे है जबकि अपनी सुविधा अनुसार कुछ संस्थाओं को पूरे शहर में साईन बोर्ड व विज्ञापन बोर्डो की खुली छूट देकर मनमानी करते है और जनता की शिकायतों को भी नजर अन्दाज कर देते है ।

इसी दौरान ब्रम्हकुमारीय आश्रम करनाल ने 21 मार्च 2014 को करनाल में ग्लोबल पीस प्रोग्राम का आयोजन किया जिसको विज्ञापित करने के लिये संस्था ने पूरे शहर को बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड, साईन बोर्ड व पर्दो से ढक दिया । लगभग लगभग 10 दिनों तक ऐसे विज्ञापन हर मोड़ पर लगे रहे जिसके बारे में शहर वासियों ने 17 मार्च 2014 को नगर निगम अधिकारीयों का लिखित रूप से शिकायत दर्ज कराई । लेकिन नगर निगम अधिकारीयों ने 21 मार्च 2014 तक कोई संज्ञान नही लिया । शहर वासियों के बार- बार सम्पर्क करने पर 2 अप्रैल 2014 को ब्रम्हकुमारीय आश्रम करनाल को एक नोटिस देकर खाना पूर्ति कर ली इसके पश्चात 2014 से लेकर कोई कारवाई नही की गई ।

जब अभियन्ता कुलभूषण से बार-बार सम्पर्क किया गया तो कुल भूषन ने स्पष्ट तौर पर कहा कि लम्बे समय बाद कोई कारवाई नही बनती जिससे दुकानदारों में रोष पैदा हो गया तथा नगर निगम अधिकारयों के खिलाफ दुहाई देने लगे कि गरीब दुकानदारों पर जुर्माना और बड़ी संस्थाओं की हिमायत ।

एक भाजपा नेता ने दुकानदारों की ये शिकायत सी एम विण्डो पर कर दी जिसकी जाँच का जिम्मा भी नगर निगम कार्यालय के जे ई कुल भूषण को दिया गया जो पहले ही कह चुका था की देरी होने के कारण इस पर कोई कारवाई नही हो सकती निमानुसार शिकायत की एक प्रति निगरानी कमेटी के चेयरमैन अशोक मदान को भी दी गई । लेकिन न कुछ होना था न हुआ, सी एम विण्डो पर फालोअप कालम में निगरानी कमेटी के चेयरमैन ने बिना शिकायतकर्ता को सम्पर्क किये व बिना किसी तथ्य के जाने ही लिख दिया कि शिकायत बे वजह परेशान करने की है तथा टिप्पणी दी गई की 2015 में लगे विज्ञापन बोर्डो की शिकायत करना कदापि उचित मालूम नही पड़ता जबकि शिकायत कर्ता अनुसार उक्त शिकायत 17 मार्च 2014 को आयोजन होने से पहले लिखित रूप में कर दी गई थी । तथा नगर निगम अधिकारीयों को इस पर कारवाई करने के लिये लगातार सम्पर्क जारी था लेकिन किन्ही विशेष कारणों के चलते नगर निगम अधिकारीयों ने कोई कारवाई न की अब शिकायत कर्ता पर ही दबाव बनाया जा रहा है कि ये शिकायत कि झूठी है । अशोक

शेष पेज सात पर